न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 – 66/2016

अनवान :

1. महेन्द्र पुत्र राजु जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थी

बनाम

1. महावीर पुत्र मुन्शीराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
2. पृथ्वी पुत्र मुन्शीराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
3. मोहनलाल उर्फ धर्मपाल पुत्र मुन्शीराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
4. सरस्वती पत्नी रघुवीर जाति जाट निवासी लुदेसर जिला सिरसा।
5. रामेश्वरी पत्नी बहादुर जाति जाट निवासी लुदेसर जिला सिरसा।
6. बिमला पत्नी पालाराम जाति जाट निवासी गिगोरानी जिला सिरसा।
7. सेधा पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी गिगोरानी जिला सिरसा।
8. मला वल्द राजु जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
9. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा निनाण जरिये प्रबन्धक।
10. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा गांधीबड़ी जरिये प्रबन्धक।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत : रास्ता स्वीकृत करवाने
अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्त0 अधिनियम
सपठित धारा 8(2)कोलोनाईजेशन (जनरल कालोनी)कण्डीशन

उपस्थिति : वकील श्री रामकुमार कस्वां : **प्रार्थी**
वकील श्री दलीपसिंह झोरड़ : **अप्रार्थीगण**

निर्णय **दिनांक : 25.06.2018**

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 7 के पिता अप्रार्थी सं0 8 सगे भाई है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि हुआ करती थी जिसका अर्सा दराज पहले अच्छी न्याऊ के हिसाब से विभाजन करवा लिया और विभाजन के बाद प्रार्थी के हिस्से में चक 12 एएमएस के खाता सं0 61/55 के मु0नं0 22 के किला नं0 7, 8 सम्पूर्ण नहरी, मु0नं0 23 के किला नं0 1 सम्पूर्ण नहरी, किला नं0 2/2 की 0.125 है0 कुल किता 2 की 0.3790 है0 खाते का कुल योग कुल किता 4 की 0.8850 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि आई थी और अप्रार्थीगण सं0 1 ता 7 के पिता मुन्शीराम के बंटवारा में खाता सं0 67/60 के मु0नं0 22 के किला नं0 1, 2, 3, 9, 10 कुल किता 5 की 1.2650 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि आई थी व अप्रार्थी सं0 8 के बंटवारा में चक 12 एएमएस के खाता सं0 59/24 के मु0नं0 22 के किला नं0 11 ता 14, 17 ता 24 नहरी, मु0नं0 23 के किला नं0 3, 4 सम्पूर्ण नहरी कुल किता 15 की 3.6680 है0 खातेदारी आई है।

प्रार्थी की कृषि भूमि के चिपते ही अप्रार्थीगण की कृषि भूमि है। प्रार्थी की कृषि भूमि में आवागमन करने का कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी की कृषि

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

भूमि में आवागमन करने के लिए चक 12 एएमएस के मु0नं0 22 के किला नं0 4 तक तो स्वीकृत शुदा रास्ता है उससे आगे अप्रार्थीगण नं0 1 ता 7 के किला नं0 3 में से होकर व अप्रार्थी सं0 8 की कृषि भूमि के मु0नं0 22 के किला नं0 13, 18, 23, 22 में से होकर प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आवागमन करता है। इस रास्ता से नजदीक व सुविधाजनक प्रार्थी की कृषि भूमि में आवागमन करने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है।

प्रार्थी अपनी कृषि में आवागमन करने के लिए अप्रार्थी सं0 1 ता 7 की कृषि भूमि चक 12 एएमएस के मु0नं0 22 के किला नं0 3 में उतरी दिशा में पश्चिम से पूर्व एक बिस्वा व पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण एक बिस्वा रास्ता से होकर अपनी कृषि भूमि के किला नं0 8 में प्रवेश करता है उससे आगे अप्रार्थी सं0 8 की कृषि भूमि मु0नं0 22 के किला नं0 13, 18, 23 में पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण व किला नं0 22 में दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम 0.07 है0 में से होकर अपनी कृषि भूमि में आवागमन करने के लिए नजदीक व सुविधाजनक रास्ता है जिसे प्रार्थी स्वीकृत करवाना चाहता है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तामील हो चुकी है। अप्रार्थी सं0 1 ता 3 ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया। तहसीलदार भादरा को प्रस्तावित रास्ता बाबत रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया। तहसीलदार भादरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता बाबत रिपोर्ट मय रिपोर्ट हल्का पटवारी न्यांगल व नक्शा प्रस्तावित रास्ता भिजवाई गई।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी पेश किया जिसका प्रार्थी ने जबाब प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी पर बहस उभय पक्ष सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किया गया।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 जाब्ता दीवानी पेश किया जिस पर प्रार्थी द्वारा नो ऑब्जेक्शन किया गया जिससे प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी स्वीकार किया गया। अप्रार्थीगण 6 व 7 ने अपना जबाब प्रस्तुत किया।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया, जिस पर अप्रार्थी द्वारा नो ऑब्जेक्शन किया जिससे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा उसके विरूद्ध हुई एक पक्षीय कार्यवाही ड्रॉप कर जबाब पेश करने का निवेदन किया जिस पर प्रार्थी ने नो ओब्जेक्शन किया जिससे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। अप्रार्थी सं0 8 ने अपना जबाब पेश किया।

अप्रार्थीगण 1 ता 7 ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी का पेश किया जिसका प्रार्थी ने जबाब प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पर बहस उभय पक्ष सुनकर प्रार्थना पत्र खारिज किया, जिसकी अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील की गई। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा उपखण्ड अधिकारी भादरा का आदेश यथावत् रखा गया।

पत्रावली में दोनों पक्षों द्वारा साक्ष्य हेतु प्रार्थना किये जाने पर व साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु सहमत होने पर साक्ष्य वादी व साक्ष्य प्रतिवादी करवाई गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

साक्ष्य प्रार्थी में एडब्ल्यु 1 महेन्द्र पुत्र राजु के बयान करवाये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रति नजरी नक्शा चक 12एएमएस प्रदर्श पी1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 12एएमएस खाता सं0 61/55 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श पी2, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 12एएमएस खाता सं0 67/60 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श पी3, सत्यप्रतिलिपि ज़माबन्दी चक 12एएमएस खाता सं0 59/54 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श पी4, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 12एएमएस खाता सं0 45/41 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श पी5 प्रदर्शित करवाये। चित्रप्रति ब्रह्म भाट बही व लिखित बही प्रमाणित पेश की।

साक्ष्य अप्रार्थीगण में एनएडब्ल्यु 1 महावीर पुत्र मुन्शीराम, एनएडब्ल्यु 2 ओमप्रकाश पुत्र हजारीराम, एनएडब्ल्यु 3 रामेश्वर पुत्र भूपसिंह, एनएडब्ल्यु 4 धर्मपाल पुत्र मुन्शीराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रतिलिपि फर्द अहकाम दिनांक 15.03.18, चित्रप्रति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आरटीएक्ट, चित्रप्रति पहचान पत्र रामेशरी पत्नी बहादर, चित्रप्रति परिवार राशनकार्ड रूघवीर की पेश की। प्रमाणित प्रति नक्शा चक 12एएमएस प्रदर्श डी1, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 12एएमएस खाता सं0 48/41 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श डी2 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थी ने न्यायिक उद्वरण आरआरटी 2016—17 पेज सं0 677 से 680, आरआरटी 2016(2) पेज सं0 1149 से 1151, आरआरटी 2017(1) पेज सं0 423 से 427 पेश किये।

वकील अप्रार्थी ने न्यायिक उद्वरण आरआरडी 14.11.2017 पेज सं0 737 से 742, पेज सं0 734 से 737, आरआरडी 14.05.2017 पेज सं0 294 से 297, आरआरडी 14.11.2016 पेज सं0 699 से 703, आरआरडी 14.08.2017 पेज सं0 515 से 519 पेश किये। दौराने बहस दोनों पक्षों द्वारा स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण का निवेदन करने पर दिनांक 07.06.2018 को स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका देखा गया। मौका देखने से पूर्व पक्षकारों को जरिये अधिवक्ता सूचित किया गया। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के अधिवक्ता व उपस्थित पक्षकारान के समक्ष मौका निरीक्षण किया गया।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए रास्ता स्वीकृति का निवेदन किया। प्रार्थी ने कथन किया कि उसके खेत में आने जाने का कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है, जिसके अभाव में उसका कृषि कार्य करने में असुविधा होती है। कृषि कार्य हेतु उसे रास्ता की अत्यन्त आवश्यकता है।

दौराने बहस वकील अप्रार्थी ने जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज करने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने पक्षकारों के पारिवारिक मसलों का बहस में कथन किया व चक 14एएमएस से एक नवीन रास्ता स्वीकृत करने का विकल्प सुझाया। वकील अप्रार्थी ने तहसीलदार रिपोर्ट नियमानुसार न होने का कथन किया व स्वयं न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट निरीक्षण का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी द्वारा स्वयं न्यायालय द्वारा मौका निरीक्षण का निवेदन करने पर वकील प्रार्थी द्वारा भी मौका निरीक्षण पर सहमति दी गई। दौराने बहस दोनों पक्षों द्वारा स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण का निवेदन करने पर दिनांक 07.06.2018 को स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका देखा गया। मौका देखने से पूर्व पक्षकारों

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

को जरिये अधिवक्ता सूचित किया गया। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के अधिवक्ता व उपस्थित पक्षकारान के समक्ष मौका निरीक्षण किया गया।

बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया।

हस्तगत पत्रावली में प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की खातेदारी से अन्तर्गत धारा 8(2) राज0 कालोनाईजेशन (जनरल कालोनी) कंडीशन एक्ट व धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

धारा 251क के प्रावधान है 1. आत्यान्तिक आवश्यकता 2. वैकल्पिक रास्ता का अभाव।

पत्रावली में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के खेत चक 12एएमएस के मु0नं0 22, 23 व चक 14 एएमएस के मु0नं0 12 व 21 में स्थित है। पत्रावली में तहसीलदार भादरा से दिनांक 03.05.17 को रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट में तहसीलदार भादरा ने स्पष्ट अंकन किया कि :–

1. प्रार्थी को अपने खेत में जाने के लिए और कहीं पर रास्ता नहीं है तथा यह रास्ता सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है बल्कि इसकी अन्यधिक आवश्यकता है।
2. प्रार्थी के खेत में जाने के लिए प्रस्तावित रास्ते के अलावा और कोई वैकल्पिक साधन नहीं है।

तहसीलदार भादरा ने रिपोर्ट के साथ मौका रिपोर्ट बाबत प्रस्तावित रास्ता व मौका नक्शा संलग्न कर भिजावाया है

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा चक 12 एएमएस के मु0नं0 22 के किला नं0 3 जो कि अप्रार्थीगण 1 ता 7 के पिता के नाम दर्ज है। किला नं0 8 जो कि स्वयं प्रार्थी महेन्द्र के नाम दर्ज है, किला नं0 11, 12, 13 जो कि अप्रार्थी 8 के नाम दर्ज है में से रास्ता स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है।

उक्त रास्ता 5 किला में (8–1/4X165 X5) फुट की लम्बाई में स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई इसमें से एक किला नं0 8 स्वयं प्रार्थी का है तथा तीन किला नं0 11, 12, 13 अप्रार्थी सं0 8 का है। अप्रार्थी सं0 8 ने रास्ता स्वीकृति बाबत सहमति प्रदान की है। केवल मु0नं0 22 के किला नं0 3 में से रास्ता स्वीकृति बाबत असहमति व विवाद है। प्रार्थी द्वारा अपने अनुतोष में किला नं0 3 के पश्चिमी तरफ उतर से दक्षिण रास्ता मांगा गया है जिससे अप्रार्थीगण 1 ता 7 के खेत के टुकड़े होने की सम्भावना थी व एक ही किला में दो बिस्वा रास्ता देना पडता मगर तहसीलदार भादरा के प्रस्ताव में रास्ता किला नं0 3 के पूर्वी तरफ उतर से दक्षिण एक बिस्वा प्रस्तावित किया गया है, जिससे अप्रार्थीगण सं0 1 ता 7 के खेत के टुकडे होने की सम्भावना समाप्त हो गई, साथ ही उक्त रास्ता चक 12 एएमएस में मु0नं0 22 के किला नं0 4 में स्वीकृतशुदा रास्ता से जुड़ गया व अप्रार्थीगण स0 1 ता 7 के खेत के एक तरफ किनारे पर होने से किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न नहीं करता है। तहसीलदार भादरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता पर प्रार्थी ने भी सहमति प्रदान कर दी।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रार्थना पत्र जबाब प्रार्थना पत्र दस्तावेजात, रिपोर्ट तहसीलदार, साक्ष्य वादी, साक्ष्य प्रतिवादी, न्यायालय द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण से यह तथ्य न्यायालय के समक्ष स्पष्ट हो गया है कि प्रार्थी को अपने खेत में जाने हेतु कोई वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को काश्त हेतु रास्ता की आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थी द्वारा जिस रास्ता की मांग की गई है वह चक 12 एएमएस के किला नं0 4 तक कायम व चालु रिकार्डेड रास्ता से जुड़ जाता है, प्रस्तावित रास्ता के किला नं0 3 के बाद दक्षिणी तरफ किला नं0 7 व 8 में स्वयं प्रार्थी की खातेदारी काश्त भूमि है। किला नं0 8 व किला नं0 11, 12, 13 में तो आपसी सहमति से रास्ता स्वीकृत किया जाना है अर्थात् मात्र किला नं0 3 में ही गुणावगुण के आधार पर रास्ता स्वीकृत करना है, इस एक किला में रास्ता स्वीकृति से यह रास्ता प्रार्थी व समस्त अप्रार्थीगण के उपयोग उपभोग हेतु कायम होगा। प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा उक्त भूमि पूर्व में एकल खातेदारी दर्ज थी। प्रस्तावित रास्ता अप्रार्थीगण 1 ता 7 के किला नं0 3 व किला नं0 9, 10 के चिपता हुआ है तो यह रास्ता अप्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में भी सुविधा प्रदान करेगा।

दौराने बहस व दौराने मौका निरीक्षण अप्रार्थीगण द्वारा चक 14 एएमएस से एक रास्ता ग्राम मलखेड़ा से आने का कथन किया व उक्त रास्ता से आगे प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खेतों में से रास्ता स्वीकृत करने का कथन किया। उक्त के सम्बन्ध में न्यायालय का मत है कि प्रत्येक गांव व चक में काश्तकारों के खेतों में अलग अलग दिशाओं से रास्ते आते है व ये रास्ते अलग अलग दूरियों पर जाकर समाप्त हो जाते है। इस प्रकार हस्तगत रास्ता सम्बन्धी पत्रावली में चक व गांव के प्रत्येक दिशा से रास्ता विकल्प सुझाऐ जाये व उन पर विवेचना की जाये तो प्रकरण में पक्षकारान के संयोजन की पक्षकारान की संख्या बढती जायेगी व विवाद सुलझने की बजाये बढने की संभावना ज्यादा रहेगी। हस्तगत पत्रावली पक्षकारों के संयोजन संबंधी प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10सीपीसी में न्यायालय द्वारा जो मत प्रकट किया गया था, उसको माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा कायम रखा गया था। चक 14 एएमस के जिस रास्ते का बिन्दु बहस में उठाया गया वह अलग प्रकरण है जिसकी पत्रावली न्यायालय में जेरकार रही है। इस बिन्दु पर न्यायालय का स्पष्ट मत है कि उक्त 14 एएमएस का रास्ता का निर्णय उसके पक्षकारान के मध्य होना है जिसके लिए प्रभावित पक्षकार सक्षम न्यायालय में चाराजोही के लिए स्वतंत्र है। हस्तगतप्रकरण में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य रास्ता संबंधी प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जाना है, जो कि पत्रावली पर मौजूद पक्षकारों व साक्ष्यों कें परिपेक्ष्य में किया जाना ही न्यायोचित है। पत्रावली को अंतिम स्टेज़ पर नये पक्षकारों को शामिल करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

प्रार्थी धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एंव सपठित धारा 8(2)राजस्थान कोलोनाईजेशन (जनरल कालोनी) कण्डीशन एक्ट के दोनों बिन्दुओं 1. आत्यन्तिक आवश्यकता 2.वैकल्पिक रास्ता का अभाव को साबित करने मे सफल रहा है, जबकि अप्रार्थीगण 1 ता 7 उक्त दोनों बिन्दुओं का खण्डन करने में असफल रहे है। पीठासीन अधिकारी स्वयं के द्वारा मौका निरीक्षण किये जाने से राजस्थान टिनेन्सी नियम 1955 की धारा 69 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की गई है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रस्तावित रास्ता के 80 प्रतिशत हिस्सा पर प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 8 की सहमति है, जो अप्रार्थीगण 1 ता 7 की खातेदारी से नहीं गुजरता है। प्रस्तावित रास्ता का भाग 20 प्रतिशत हिस्सा ही अप्रार्थीगण सं0 1 ता 7 की खातेदारी किला नं0 3 के पूर्वी तरफ उतर से दक्षिण गुजरेगा जो कि लघुतम है। प्रस्तावित रास्ता से किसी भी काश्तकार को असुविधा या अपूर्णिय क्षति की कोई संभावना दृष्टि गोचर नहीं होती है।

सम्मानीय न्यायिक दृष्टान्त कमला बनाम रविन्द्र कुमार आदि आरआरडी 14.11.2017 पेज नं0 741 पर पैरा नं0 12 माननीय न्यायालय ने अंकित किया है कि **"इस तथ्य को ध्यान में रखा जावे कि रास्ते में कम से कम भूमि ली जावे, प्रार्थीया की कृषि भूमि के अनावश्यक रूप से पृथक टुकडे नहीं किये जावे। रास्ता इस प्रकार से स्वीकृत किया जावे कि सभी पड़ोसी खातेदार अपनी अपनी कृषि भूमि में एक रास्ते से आवागमन कर सके।"**

हस्तगत प्रकरण में मात्र 5 बिस्वा भूमि रास्ता हेतु ली जा रही है, अप्रार्थीगण के खेत के टुकड़े नहीं हो रहे है तथा प्रस्तावित रास्ता तीन अलग अलग खातों के खातेदार काश्तकार के आवागमन हेतु सुलभ होगा। इसलिए प्रस्तावित रास्ता को स्वीकृत किया जाना न्यायोचित व विधिसम्मत है।

अत : उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 8(2) कोलोनाईनेशन (जनरल कालोनी) कण्डीशन एक्ट का स्वीकार किया जाता है, चक 12एएमएस के मु0नं0 22 के किला नं0 3 व किला नं0 8 के पूर्वी तरफ उतर से दक्षिण 8–1/4 फीट चौडाई में एक एक बिस्वा रास्ता प्रत्येक किले में व मु0नं0 22 के किला नं0 11, 12, 13 में उतरी तरफ पूर्व से पश्चिम 8–1/4 फीट चौडाई में एक–एक बिस्वा रास्ता प्रत्येक किले में स्वीकृत किया जाता है एवं मु0नं0 22 के किला नं0 3 में रास्ता में गई भूमि की एवज में मु0नं0 22 के किला 8 में पश्चिमी तरफ 1 बिस्वा भूमि प्रार्थी महेन्द्र के खाते से कम की जाकर अप्रार्थीगण 1 ता 7 के खाते में जोड़ी जाए। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन व रास्ता के एवज में प्राप्त भूमि का अप्रार्थीगण के खाते में अमलदरामद किया जावे। तहसीलदार भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **25.06.2018** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी R.A.S,
उपखण्ड अधिकारी,
भादरा जिला हनुमानगढ